महत्वपूर्ण एवं खास

जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर की भर्ती हेतु आवेदन 31 जुलाई तक आमंत्रित

सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर में स्टेनोग्राफर हिन्दी और सहायक ग्रेड-3 की सीधी भर्ती हेतु आवेदन 31 जुलाई 2023 की शाम 5 बजे तक जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर में रखे ड्राप बॉक्स में ही जमा करना होगा। डाकघर या अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी के लिए जिला न्यायालय के वेबसाईट डिस्क्रिट्स डॉट ईकोर्ट्स डॉट जीओवी डॉट इन/रायपुर से अवलोकन किया जा सकता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा में संविदा भर्ती हेतु 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा में कार्यालय सहायक-क्लर्क, रिसेप्शनिष्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर (टाइपिस्ट) और कार्यालय भृत्य (मुंशी-अटेन्डेट) की संविदा भर्ती हेतु आवेदन 31 जुलाई 2023 की शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एडीआर भवन, जिला न्यायालय परिसर कोरबा में रखे ड्राप बॉक्स में जमा करना होगा। डाकघर या अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी के लिए जिला न्यायालय के वेबसाईट डिस्क्रिट्स डॉट ईकोर्ट्स डॉट जीओवी डॉट इन/कोरबा से अवलोकन किया जा सकता है।

कुटुम्ब न्यायालय मुंगेली में सीधी भर्ती हेतु आवेदन 31 जुलाई तक

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कुटुम्ब न्यायालय मुंगेली में वाहन चालक, भृत्य-फर्राश और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर तथा माली आदि के 08 पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन 31 जुलाई 2023 तक आमंत्रित किया गया है। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिला न्यायालय के वेबसाईट डिस्क्रिट्स डॉट ईकोर्ट्स डॉट जीओवी डॉट इन/मुंगेली से प्राप्त की जा सकती है

आंगनबाड़ी में भर्ती के लिए 1 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित

सारंगढ़-बिलाईगढ़। महिला एवं बाल विकास विभाग के सारंगढ़ परियोजना में विभिन्न कारणों से कार्यकर्ता, सहायिकाओं, मिनी कार्यकर्ता के पद रिक्त हुए हैं, जिनके नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सारंगढ़ के वार्ड-9/3 सहित ग्राम बोईरडीह और बासीनबहरा में तथा आंगनबाड़ी सहायिका, सारंगढ़ के वार्ड 3, वार्ड 9/3 सहित ग्राम टिमरलगा और नौरंगपुर में नियुक्त किया जाना है। इस हेतु इच्छुक अभ्यर्थी 01 अगस्त 2023 तक कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, गायत्री मंदिर के पीछे सारंगढ़ में कार्यालयीन दिवस और समय पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता पद हेतु बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण एवं सहायिका पद हेतु आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इस भर्ती में विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा महिलाओं को 15 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा।

रायपुर बनेगा पपीता उत्पादक जिला : आईआईएचआर ने तैयार की पपीता की उन्नत प्रजाति अर्का प्रभात

❐ एक उत्पाद-एक जिला योजना में रायपुर शामिल

❐ किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान एवं बिना ब्याज के 3 लाख का ऋण

रायपुर। रायपुर जिले में बड़े पैमाने पर पपीते की खेती को लेकर उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण दिए जाने की सिलसिला शुरू कर दिया गया है। एक उत्पाद-एक जिला योजना के तहत रायपुर जिले का चयन पपीते की खेती के लिए हुआ है। किसानों को उन्नत और रोग-प्रतिरोधी क्षमता वाले पपीते के पौधे उपलब्ध हो सके, इसके लिए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर बैंगलोर में विकसित अर्का प्रभात किस्म का पपीता का पौधा रायपुर लाया गया है। इसकी मदद से नर्सरी तैयार कर किसानों को रोपण के लिए अर्का प्रभात पौधा उपलब्ध कराए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

रोग-प्रतिरोधक है अर्का प्रभात- पपीता की नई प्रजाति अर्का प्रभात की विशेषता यह है कि यह स्पॉट वायरस रसिस्टेंट है। इसमें वायरस से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होने के कारण पौधा रोग-रहित रहता है। यह जानकारी 21 जुलाई को एक उत्पाद-एक जिला के तहत पपीता उत्पादन से पोषण की ओर विषय पर आयोजित कार्यशाला में दी गई। जिला पंचायत रायपुर के सीईओ अविनाश मिश्रा के मार्गदर्शन उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विज्ञान केन्द्र रायपुर द्वारा इस कार्यशाला का आयोजन लाभाण्डी में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया।

कार्यशाला में किसानों को पपीता की खेती के लिए प्रोत्साहित करते हुए उप संचालक उद्यानिकी कैलाश सिंह पैकरा ने कहा कि इसकी खेती के लिए शासन द्वारा किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान तथा बिना ब्याज के 3 लाख रूपए तक का ऋण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पपीता एक पौष्टिक फल है। इसकी पत्ती की भी उपयोगी है। पपीते के स्वस्थ पौधे उद्यानिकी रोपणियों एवं कृषि केंद्रों पर भी उपलब्ध है। इसकी खेती के लिए विभाग के अधिकारियों एवं प्रक्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा किसानों को जानकारी दी जा रही है।

वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ गौतम राय ने उद्यानिकी के क्षेत्र में किए जा रहे शोध की जानकारी दी। डॉ. अजय वर्मा, निदेशक, विस्तार सेवाएं रायपुर ने बताया कि 'अर्का प्रभात' किस्म के पपीते का पौधा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बैंगलोर से लाए हैं। स्थानीय स्तर पर इसकी नर्सरी तैयार कर किसानों को पौधे उपलब्ध कराने की पहल शुरू की गई है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार उद्योग अमेय त्रिपाठी ने किसानों को पपीते की मार्केटिंग, कोल स्टोरेज में रख रखाव और प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसान इसका लाभ उठाकर अपना कारोबार को बढ़ा सकते हैं।

वैज्ञानिक डॉ नीरज मिश्रा ने किसानों को बताया गया कि पपीता पौष्टिकता में सबसे अधिक है और इस फल से अनेक प्रकार के प्रसंस्कृत उत्पाद बनाए जा सकते हैं जैसे जैम, जेली, कतरी, कैंडी आदि। इसके जूस एवं नेक्टर की भी अधिक डिमांड है। पपीते का पाउडर भी बनाया जा सकता है। पपीते का उत्पादन कर मंडी में बेचने के साथ ही किसान इसके प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन पर ध्यान दें तो अधिक लाभ कमा सकते हैं।

वायरस से बचाव के लिए नीम का तेल और शैंपू का घोल के छिड़काव करें- वैज्ञानिक मनोज कुमार साहू ने बताया कि पपीता की खेती को वायरस एवं बग्स से बचाने के लिए नीम के तेल के साथ शैंपू घोल कर छिड़काव किया जाना चाहिए। पपीते के पेड़ के आस-पास गेंदा फूल का पौधा लगाकर पपीते के पौधे को रोग से सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। सहायक संचालक कृषि ने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। जल्द ही छत्तीसगढ़ उद्यानिकी प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। कार्यशाला के समापन पर किसानों को पपीते के स्वस्थ पौधे वितरित किए गए। प्रश्नोत्तर सत्र में किसानों प्रश्नों एवं शंकाओं का समाधान किया गया।

ग्राम छोटेगुमडा में खुडखुड़िया खेल रहे तीन व्यक्तियों को घरघोड़ा पुलिस ने पकड़ा, आरोपियों पर जुआ प्रतिषेध की कार्यवाई

रायगढ़। शुक्रवार की रात्रि घरघोड़ा थानाक्षेत्र के ग्राम छोटेगुमडा में खुड़खुड़िया पट्टी पर जुआ खेले जाने की सूचना पर घरघोड़ा पुलिस द्वारा घेराबंदी कर जुआ रेड कार्रवाई किया गया। जहां मौके से पुलिस टीम ने जुआ खेल रहे –(1) उमाकान्त राठिया पिता नंदलाल राठिया उम्र 35 वर्ष साकिन घरघोडी (2) मकसूद पिता अहमद अली उम्र 34 वर्ष पुराना पोस्ट आफिस के पास घरघोडा (3) विनोद निषाद पिता बिहारी निषाद उम्र 36 वर्ष साकिन घरघोडी को पकड़ा गया। जुआरियों के पास एवं फड से कुल जुमला रकम 4043/रूपये, 06 नग खुडखुडिया गोटी, खुडखुडिया पट्टी, एक बांस की टोकरी, एक चटाई की जप्ती की गई है। जुआरियों पर थाना घरघोड़ा में धारा 3(2) छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई किया गया है। जुआ रेड कार्रवाई में टीआई घरघोड़ा शरद चन्द्रा, एसआई करमू साय पैंकरा, आरक्षक भानू प्रताप चन्द्रा, विद्याधर सिदार, प्रहलाद भगत शामिल थे।

कुपोषित बच्चों के घर जाकर बता रहे सही खानपान और जीवनशैली के तरीके : 20 जुलाई से 30 जुलाई तक रहेगा जारी रहेगा अभियान

❐ कलेक्टर सिन्हा के निर्देश पर कुपोषित बच्चों और गर्भवती माताओं के घरों में चल रहा गृह भेंट अभियान

रायगढ़। जिले में कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य की देखभाल और मॉनिटरिंग के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर 20 जुलाई से पूरे जिले में गृह भेंट अभियान शुरू किया है। यह अभियान अगले 30 जुलाई तक चलेगा।

कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने पिछले दिनों महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कुपोषित बच्चों के घर जाकर गृहभेंट करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि कुपोषण से निकालने के लिए प्रभावित बच्चों के पालकों को सही खानपान और स्वस्थ जीवनशैली की जानकारी दें। जनप्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल करें। कुपोषित बच्चा नियमित रूप से पोषण आहार ले, इसकी मॉनिटरिंग करें। इसके साथ ही उन्होंने गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का फॉलोअप लेने और उन्हें भी स्वास्थ्य संबंधी सलाह देने के निर्देश दिए हैं।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग टी.के.जाटवर ने बताया कि कलेक्टर सिन्हा के निर्देशानुसार जिले में चिन्हांकित 0-6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों के घरों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जाकर सही पोषण आहार, स्वास्थ्य जांच संबंधी जानकारी दे रही हैं। साथ ही गर्भवती महिलाओं से भी भेंट कर उन्हें नियमित एएनसी चेकअप, पोषण आहार, सुरक्षित और संस्थागत प्रसव के तरीके और लाभ बता रही हैं। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से गृह भेंट अभियान की शुरुआत हुई है, जो आगे 30 जुलाई तक जारी रहेगा।

केन्द्र सरकार ने आमंत्रित किया पद्म अवार्ड के लिए ऑनलाइन नामांकन

❐ सामान्य प्रशासन विभाग ने कलेक्टर से अनुशंसा के बाद 30 अगस्त तक मंगाया नामांकन

सारंगढ़-बिलाईगढ़। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भारत के सर्वोच्च पद्म पुरस्कार (पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री) वर्ष 2024 के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किया है। पुरस्कार के लिए निर्धारित पात्रता एवं मापदंड के अनुरूप योग्य-पात्र व्यक्तियों का नामांकन प्रस्ताव जिला कलेक्टर के अनुशंसा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय को भेजी जाएगी। इसलिए योग्य व्यक्ति या संस्था जिसने उत्कृष्ट कार्य किया है, वे अपने नामांकन करने के बाद जिला कलेक्टर को अनुशंसा के लिए भेजें। जिला कलेक्टर से इन नामांकन पत्रों को सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर ने 30 अगस्त 2023 तक मंगाया है। सभी जिले के कोई भी योग्य व्यक्ति या संस्था नामांकन के बाद निर्धारित समय अवधि में कलेक्टर से नामांकन की प्रति में अनुशंसा करा सकते हैं।

गृह मंत्रालय से जारी पत्र के अनुसार पद्म पुरस्कार अर्थात् पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इस पुरस्कार में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता प्रदान की जाती है और इसे सभी क्षेत्रों-विषयों जैसे कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, लोक कार्य सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों-सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। कोई भी व्यक्ति, किसी जाति, व्यवसाय, हैसियत या लिंग के भेदभाव के बिना, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इन पुरस्कारों के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ-साथ अनेक अन्य स्रोतों से भी नामांकन आमंत्रित करने की परंपरा है ताकि इन पर व्यापक विचार-विमर्श किया जा सके।

पद्म पुरस्कार के लिए नामांकन-सिफारिशें केवल ऑनलाइन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in अवार्डस डॉट जीओव्ही डॉट इन पर स्वीकार की जाएगी, जिसे इसी उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किया गया है। नामांकन-सिफारिश में अनुशंसित व्यक्ति की उससे संबन्धित क्षेत्र-विषय में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए विवरणात्मक रूप में प्रशस्ति पत्र (अधिकतम 800 शब्द) सहित उपर्युक्त पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में उल्लिखित सभी प्रासंगिक जानकारी दी जानी चाहिए। किसी व्यक्ति की ऑनलाइन सिफारिश करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी आवश्यक विवरण ठीक से भरे गए है। ऑनलाइन सिफारिश करने की क्रमवार प्रक्रिया https://awards.gov.in पोर्टल अवार्डस डॉट जीओव्ही डॉट इन पर बताई गई है। इन पुरस्कारो से संबंधित विधान और नियमावली वेबसाइट https://www.padmaawards.gov.in/ पद्मअवार्डस डॉट जीओव्ही डॉट इन पर भी उपलब्ध है।

कलेक्टरों को जारी पत्र में कहा गया है कि अतीत में देखा गया है कि बड़ी संख्या में व्यक्तियों के संबंध में नामांकन प्राप्त होते हैं, लेकिन असाधारण योगदान के बावजूद कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों के नाम पर विचार नहीं किया जाता है। ज्यादातर ऐसे लोगों की मुख्य रूप से इस कारण से अनदेखे रहने की संभावना रहती है कि उन्हें अपने सार्वजनिक जीवन में प्रचार या प्रमुखता की आकांक्षा नहीं रहती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने के पूरे प्रयास किए जाए जिनका उत्कृष्ट प्रदर्शन और उपलब्धियो सम्मान योग्य हैं और उनका उपयुक्त नामांकन किया जाए। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ऐसे योग्य व्यक्तियों के सम्मान से इन पुरस्कारों की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उल्लेखनीय है कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में काम करने वाले व्यक्तियों सहित सरकारी सेवक पद्म पुरस्कार के लिए पात्र नहीं हैं। मरणोपरांत मामले में पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाता है। हालांकि, अत्यधिक योग्य और दुर्लभ मामलों में, सरकार मरणोपरांत पुरस्कार देने पर विचार कर सकती है।

ईडी की रिमांड पर चल रही आईएएस रानू साहू की बढ़ी मुश्किलें

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ कोल और लेवी घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के शिकंजे में फंसी आईएएस अफसर रानू साहू की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। शुक्रवार को उनके आवास में छापामार कार्यवाही करने के बाद ईडी ने कल उन्हें विशेष अदालत में पेश किया था। अदालत ने उन्हें 3 दिन की रिमांड पर भेजा है। दूसरी ओर ईडी का ध्यान अब उन स्थानों पर भी है जहां रानू साहू बतौर कलेक्टर पोस्टेड थी। जानकारों की माने तो रानू साहू अब तक जहां भी पदस्थ रही हैं, वहां डीएमएफ का फंड सबसे ज्यादा था। लिहाजा ईडी के रडार में अब ये स्थान और वहां के कुछ विशेष लोग भी आ गए हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमार कार्यवाही से खासी खलबली मची हुई है। ईडी के रडार में आईएएस अफसर रानू साहू के आने के बाद से ही नए-नए तथ्य और जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो ईडी के हाथ कुछ ऐसे क्लू मिले हैं, जिनसे ईडी अब अपनी जांच का एक बिंदु उन स्थानों पर फोकस कर रही है, जहां रानू साहू अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। ज्ञात हो कि रानू साहू कलेक्टर बनने के बाद सबसे पहले कांकेर जिले में पोस्टेड रही हैं। इसके बाद उन्हें बालोद, कोरबा और रायगढ़ जिले की कमान भी संभालने का मौका मिला था।

इन स्थानों पर अपनी सेवाओं के दौरान आईएएस अफसर रानू साहू अपने कामों को लेकर खासी चर्चाओं में भी रही है। ईडी का माथा इन स्थानों से आने वाले डीएमएफ फंड को लेकर खटक गया है। सूत्रों की माने तो कोरबा और रायगढ़ जिले ऐसे हैं, जहां से डीएमएफ का सबसे ज्यादा फंड आता है। लिहाजा डीएमएफ फंड को लेकर भी ईडी को कुछ बात खटक रही है। सूत्रों की माने तो ईडी अब इन जिलों और यहां से जुड़े कुछ लोगों के ठिकानों पर जांच कर सकती है।

10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस : बच्चों में कृमि सामान्य बीमारी नहीं, कई गंभीर रोगों का कारण भी है

❐ कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने ली बच्चों के शरीर से कृमि मुक्त करने के लिए बैठक

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने जिले को कृमि मुक्त बनाने के उद्देश्य से कलेक्टोरेट सभाकक्ष में स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और स्कूल शिक्षा विभाग की संयुक्त रूप से अंतर्विभागीय टास्क फोर्स की बैठक ली। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन, स्वास्थ्य कर्मियों, बिहान के समूहों, पंचायत कर्मियों और अन्य सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों, आईटीआई, पॉलीटेक्निक, आंगनबाड़ी केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों में 1 वर्ष से लेकर 19 वर्षीय तक बालक-बालिकाओं को शत् प्रतिशत कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजॉल खिलाने के लिए स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा स्कूल और उच्च शिक्षा विभाग को कहा। साथ ही साथ कलेक्टर ने कहा कि दवा सेवन के दिन स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे जिले में अपनी स्वास्थ्य सुविधा की सुदृढ़ व्यवस्था रखें।

कलेक्टर सिद्दीकी ने 10 अगस्त को होने वाली राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की तैयारी हेतु बैठक में उपस्थित जिला शिक्षा अधिकारी एवं महिला एवं बाल विकास अधिकारी को शासकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत एवं गैर पंजीकृत (शाला त्यागी)1 वर्ष से 19 वर्ष तक के सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आईटीआई व कॉलेज प्रथम वर्ष के बच्चों की सूची लेकर कार्य योजना तैयार कर समयावधि पर स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में लॉजिस्टिक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने प्रत्येक विकासखंड में रैपिड रेस्पॉन्स टीम गठन कर सेक्टर स्तर पर क्वालिटी ट्रेनिंग आयोजित करने के निर्देश दिये साथ ही स्वास्थ्य एवं आईसीडीएस पर्यवेक्षकों द्वारा प्रत्येक बूथ की निरीक्षण करने के निर्देश दिए ताकि अभियान के दौरान शतप्रतिशत बच्चो को कृमि नाशक गोली खिलाकर कृमि संक्रमण से मुक्ति दिलाई जा सके।

दवा खिलाने के पूर्व सावधानियां - दवा खिलाने के पूर्व दवा की एक्सपायरी डेट की जांच की जाए और बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। यदि पूर्व से किसी बीमारी के इलाज के लिए कोई दवा खा रहे हो, तो उन्हें कृमिनाशक दवा नहीं खिलाई जाए। किसी भी बच्चे को जबरदस्ती दवा नहीं खिलाई जाए।

दवा सेवन- बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एफ आर निराला ने बताया कि 10 अगस्त को 1 से 2 वर्ष के बच्चों को 200 मिलीग्राम या आधी गोली, 2 से 19 वर्ष तक के बच्चों को 400 मिलीग्राम या 1 गोली ,खाने के बाद सुपरवाइज डोज अर्थात दवा वितरक 1 से 3 वर्ष के बच्चों को पीसकर तथा 3 से 19 वर्ष के बच्चों को चबा कर अपने समक्ष ही खिलाई जावे तथा जो बच्चे 10 अगस्त को दवा लेने से वंचित हो जाए उन्हें मापअप राउंड के तहत 17 अगस्त को अनिवार्य रूप से दवा सेवन कराई जावे।

ड्यूटी में तैनात कर्मी दवा का सेवन अपने सामने खिलाएं। किसी भी परिस्थिति में दवा बच्चों या उनके पालकों को घर ले जाने के लिए नहीं दी जाए। दवा को बच्चों को पूरा चाबकर खाना है। किसी बच्चे के गले में अटक जाए तो बच्चों को अपनी गोद में छाती के बल लिटाकर पीठ में हल्के से थपथपाएं जिससे गले में फंसी गोली नीचे गिर जाए।

दवा खिलाने के बाद- जिन बच्चों के शरीर में कृमि होंगे, उनके दवा खाने के बाद सामान्य प्रतिकूल प्रभाव जैसे पेट में हल्का दर्द, उल्टी, दस्त, थकान हो सकती है। ऐसे में उन्हें हवादार स्थान में आराम करने की व्यवस्था की जाए और पानी पिलाई जाए। ड्यूटी में तैनात कर्मी ऐसी स्थिति में अपने कन्ट्रोलिंग अधिकारी और नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र को सूचित करें। इसकी सूचना टोल फ्री नंबर 18001803024 पर भी दी जा सकती है।

कृमि सामान्य बीमारी नहीं, कई गंभीर रोगों का कारण भी है- बैठक में खंड चिकित्सा अधिकारी बरमकेला डॉ. अवधेश पाणिग्राही ने कृमि संक्रमण के विभिन्न चरणों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही संक्रमण पेट मे पहुँचता है लोगों को दस्त होता है,जब कृमि विकसित होकर रक्त में पहुँचता है तो रक्त कोशिकाओं का शिकार करता है जिससे रक्ताल्पता होती है। आगे जब संक्रमण फेफड़ा में पहुँचता है, तब निमोनिया और मष्तिस्क में पहुंचकर झटके आदि बीमारी के कारण बनते है।

बैठक में जिले के सभी बीएमओ, नोडल अधिकारी पंचायत हरिशंकर चौहान, डीईओ डेजी रानी जांगड़े, डिप्टी कलेक्टर टी.आर. महेश्वरी, बी. एक्का, सीएमओ राजेश पांडेय, आयुर्वेद डॉ. पटेल, महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी कृष्णा साहू, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डीपीएम एन एल इजारदार, डॉ. सेन, डॉ. रात्रे सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480